भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 5097

मंगलवार, 24 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

तमिलनाडु में मान्यताप्राप्त स्टार्टअप

5097. श्री थरानिवेंथन एम. एस.:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु में पिछले दो वर्षों के दौरान पंजीकृत किए गए स्टार्टअपों की कुल संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) तमिलनाडु में अब तक मान्यताप्राप्त स्टार्टअप के माध्यम से कितने लोगों को रोजगार मिला है और इसमें महिलाओं का प्रतिशत कितना है;

(ग) सरकार द्वारा स्टार्टअपों को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयासों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार की विशेषकर तमिलनाडु राज्य में स्टार्टअपों के लिए कोई विशेष कार्य योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क): स्टार्टअप इंडिया पहल की शुरुआत 16 जनवरी, 2016 को की गई। इसका उद्देश्य, नवप्रयोग, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने और देश के स्टार्टअप ईकोसिस्टम में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एक सुदृढ़ तंत्र का निर्माण करना है।

31 जनवरी, 2026 तक की स्थिति के अनुसार, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा कुल 2,12,283 कंपनियों को स्टार्टअप्स के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। 31 जनवरी, 2026 तक की स्थिति के अनुसार डीपीआईआईटी द्वारा तमिलनाडु राज्य में 14,099 कंपनियों को स्टार्टअप्स के रूप में मान्यता प्रदान की गई है।

पिछले दो वर्ष अर्थात वर्ष 2024 और 2025 में, तमिलनाडु राज्य में डीपीआईआईटी द्वारा स्टार्टअप्स के रूप में मान्यताप्रदत्त कंपनियों की कुल संख्या क्रमशः 2,656 और 3,201 है।

(ख): तमिलनाडु राज्य में, डीपीआईआईटी द्वारा स्टार्टअप्स के रूप में मान्यताप्रदत्त कंपनियों ने 31 जनवरी, 2026 तक की स्थिति के अनुसार 1.46 लाख से अधिक प्रत्यक्ष रोजगारों का सृजन किया है। इसके अलावा, 31 जनवरी, 2026 तक की स्थिति के अनुसार, तमिलनाडु राज्य में स्टार्टअप्स के रूप में मान्यताप्राप्त कुल 14,099 कंपनियों में से, 7,042 कंपनियों (लगभग 49.9%) में कम से कम एक महिला निदेशक/भागीदार है।

(ग) और (घ): स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत, तमिलनाडु राज्य सहित देश में एक ऊर्जावान स्टार्टअप ईकोसिस्टम का निर्माण करने के उद्देश्य से परिकल्पित स्कीमों और प्रोत्साहनों के साथ सरकार ने एक कार्य-योजना की शुरूआत की है। इस कार्य-योजना में "सरलीकरण और हैंडहोल्डिंग", "फंडिंग सहायता और प्रोत्साहन" तथा "उद्योग जगत-अकादमिक क्षेत्र की साझेदारी और इन्क्यूबेशन" जैसे क्षेत्रों को शामिल करने वाली 19 कार्य मदें शामिल हैं।

कार्य योजना के विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत स्टार्टअप ईकोसिस्टम को मान्यता प्रदान करने, उसका विकास करने, बढ़ावा देने और उसे सशक्त बनाने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वित किए गए हैं। उक्त पहल के तहत सरकार द्वारा किए गए सभी उपाय समावेशी हैं और उन्हें तमिलनाडु सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित किया गया है।

प्रमुख स्कीमें, नामतः स्टार्टअप के लिए निधियों का कोष (एफएफएस), स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (एसआईएसएफएस) और स्टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएसएस) स्टार्टअप कंपनियों को उनके व्यवसाय चक्र के विभिन्न चरणों में सहायता प्रदान करती हैं। इसके साथ-साथ, सरकार समय-समय पर विभिन्न कार्यकलाप और कार्यक्रम भी कार्यान्वित करती है, जिनमें राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग, राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार और इनोवेशन वीक शामिल हैं, जो स्टार्टअप ईकोसिस्टम के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सरकार, स्टार्टअप महाकुंभ जैसी ईकोसिस्टम आधारित पहलों को भी प्रोत्साहित और सहायता प्रदान करती है, जो हितधारकों को नेटवर्क बनाने और सहयोग प्रदान करने के लिए एक ऊर्जावान मंच के रूप में कार्य करते हैं। बाजार पहुंच में सुधार और सार्वजनिक खरीद को सक्षम करने के लिए भी पहलें शुरू की गई हैं, जो स्टार्टअप को अपने व्यवसायों को बढ़ाने और स्केलिंग अप करने में सहायता करती हैं। इन उपायों के पूरक स्वरूप, विनियामक सुधार और ईकोसिस्टम के विकास से जुड़े अन्य कार्यक्रम और आयोजन भी किए जाते हैं।
